भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5648

(दिनांक 26.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

पेड न्यूज

5648. श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तथा भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज कराई गई प्रकाशित पेड न्यूज/शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेड न्यूज पर कोई विशेष कानून के अभाव के कारण इस प्रवृत्ति को रोकना संभव नहीं हो पाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पेड न्यूज को रोकने के लिए कोई कानून या नीति बनाने तथा प्रेस परिषद अधिनियम को संशोधित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) और (ख): प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत गठित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को भारत के निर्वाचन आयोग एवं अन्य से वर्ष 2018-19 के दौरान पेड न्यूज के 58 मामले प्राप्त हुए हैं। इन मामलों को प्रेस परिषद (जांच की प्रक्रिया) विनियमन, 1979 के अनुसार निपटाया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों) में पेड न्यूज की कोई विशिष्ट घटना इस मंत्रालय के संज्ञान में नहीं लाई गई है।

(ग) से (ङ): पीसीआई के अतिरिक्त, भारत के निर्वाचन आयोग के पास पेड न्यूज से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र है।

भारतीय प्रेस परिषद ने पेड-न्यूज को दण्डनीय निर्वाचन अपराध की घटना मानने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन की सिफारिश की थी। भारत के निर्वाचन आयोग ने भी ''पेड-न्यूज'' को भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराधों की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की थी।

*****